नमीप्रकार

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

प्रा०पत्र 09 R 4 सपठित धारा 151 CPC (अपील को पुनः नम्बर पर लेने) खारिज 30/8/19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अलाउद्दीन पुत्र छोटू खां जाति मुसलमान बनाम मु. रमजान बा० राजूखां जाति मुसलमान व अन्य

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. (पुनः नम्बर लेने अपील) नम्बर 296/2019 सन् 2019 (नवी.)

2019/00296

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम रावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
30.8.19	यह प्रार्थना पत्र श्री सीताराम रावत एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा अपील को दिनांक 16.07.2019 को अपीलांट द्वारा आगे नहीं चलाये जाने से खारिज किये जाने के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ मूल अपील संख्या 184/2016 सलंग्न की गई। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में विचाराधीन पूर्व अपील संख्या 184/2016 को अपीलांट ने स्वंय ने उपस्थित होकर कथन किया कि पक्षकारान के आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपील को आगे नहीं चलाये जाने का कथन किये के बाद न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 16.07.2019 को आगे नहीं चलाने के कारण खारिज की। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 जा.दी. के तहत् पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनःनम्बर पर लिये जाने का आदेश करें। बाद अवलोकन अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 4 जा.दी. पेश किया गया है। आदेश 09 नियम 04 में यह अंकित किया गया है कि नियम 02 नियम 03 के तहत् वाद खारिज किया जाता है तो नया वाद लाया जा सकता है। चूँकि यह अपील अपीलांट ने स्वंय खारिज करवायी हैं इसलिए आदेश 09 नियम 04 जा.दी. को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	